



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE
CHANGE



एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional
Office, Chandigarh

फाइल नम्बर: 9-HRB093/2021-CHA

दिनांक: 30.03.2022

सेवा में,

नोडल ऑफिसर एवं अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला, हरियाणा।

विषय: **Diversion of 0.8085 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, TS Divn., HVPNL, Rewari for construction of 220 KV D/C Transmission Line from existing 220x 400 KV D/C Sub Station Dhanonda to 220 KV Sub Station Deroli Ahir passing through various strips of forests, under forest division and District Mahendergarh, Haryana (Online Proposal No. FP/HR/Trans/140597/2021).**

सन्दर्भ: 1) अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9866/6879 दिनांक 09.03.2022.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए **0.8085 ha** वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:

1. नवीनतम सीए स्कीम में बारबड वायर फेंसिंग शुल्क कुल 8.36 RKM (सीए/एसीए) के लिए लिया गया है, उसके पश्चात कॉलम F के तहत एडिशनल शुल्क में चैन लिंक फेंसिंग 2500 पौधों के लिए 50 लाख भी लिया गया है, जो कि युक्तिसंगत नहीं है। अतः प्रस्तुत की गई सीए स्कीम में बारबड वायर फेंसिंग शुल्क व एडिशनल शुल्क में चैन लिंक फेंसिंग लगाने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे एवं सभी त्रुटियाँ सही करके संशोधित सीए स्कीम ऑनलाइन अपलोड की जाए।

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता/-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

10-4 D 9866 / 258-59 Dt: 04-5-22

प्रतिलिपि:

1. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Mahendergarh, Haryana(dfomgarh@yahoo.co.in).
2. The Executive Engineer, TS Division, District-Rewari. (sdehvpnconst@gmail.com)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

हरियाणा, पंचकुला

Signed by Raja Ram Singh

Date: 30-03-2022 09:40:22

Reason: Approved